

## पुस्तकों का क्रय

### 1. पुस्तकों के क्रय हेतु प्राधिकृत अधिकारी/समिति :

- (1) माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरांत किसी भी वित्तीय सीमा तक,
- (2) पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ समिति की अनुशंसा उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से किसी भी वित्तीय सीमा तक,
- (3) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरांत एक बार में राशि रु. 5000/- तक,
- (4) संचालक (पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ) को एक बार में रु. 2000/- तक पुस्तकें क्रय एवं व्यय किये जाने की शक्ति विहित होगी.
- (5) आकस्मिकता एवं अपरिहार्य कारणों से यदि पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ समिति की बैठक सम्पन्न नहीं हो पा रही हो तो पुस्तकों का क्रय माननीय सभापति महोदय की अनुशंसा से समिति की बैठक होने की प्रत्याशा में किया जा सकेगा.

### 3. पुस्तकें निम्न रीति से क्रय की जा सकेंगी :

- (1) प्रति पाँच वर्ष में पुस्तकों के क्रय का प्रस्ताव ई-टेन्डर के माध्यम से विज्ञप्त किया जाएगा, जिसमें पुस्तकों के लिए निर्धारित छूट पर अथवा उससे अधिक छूट पर पुस्तक प्रदाय करने के इच्छुक प्रकाशक/पुस्तक विक्रेता अपना प्रस्ताव मध्यप्रदेश विधानसभा पुस्तकालय को दे सकेंगे.
- (2) ई-टेन्डर की सूचना भोपाल स्थित प्रमुख प्रकाशक/पुस्तक विक्रेता को पत्र के माध्यम से भी दी जाएगी.
- (3) समय-समय पर पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पुस्तकालय में अनुमोदन हेतु लाई हुई पुस्तकों से भी निर्धारित छूट पर पुस्तकों का चयन किया जा सकेगा.
- (4) ई-टेन्डर के माध्यम से किसी भी पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक से आए प्रस्ताव पर निर्धारित छूट से अधिक छूट दिये जाने पर उस पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक से अधिक छूट पर पुस्तकें क्रय की जाएगी.
- (5) ई-टेन्डर में अथवा प्रकाशक/पुस्तक विक्रेताओं के प्रस्ताव पुस्तकालय में आएँगे वे समय-समय पर पुस्तकें अनुमोदन हेतु पुस्तकालय में ला सकेंगे.
- (6) दूरभाष पर अथवा पत्र भेजकर समय-समय पर उपयोग में आने वाली पुस्तकों को अवलोकन एवं क्रय करने के लिये बुलाया जा सकेगा.
- (7) पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ समिति, उप समिति, सचिवालय के अधिकारी, शासकीय दौरे पर गये सचिवालयीन अधिकारी, मेलों से, पुस्तक प्रदर्शनियों से, स्थानीय पुस्तक विक्रेता के यहां जाकर, भोपाल के बाहर स्थित प्रकाशक/पुस्तक विक्रेताओं से पुस्तकें क्रय कर सकेंगे.

- (8) समय-समय पर आवश्यकता होने पर केटलॉग द्वारा भी पुस्तकों का क्रय किया जा सकेगा। उपरोक्त में से किसी भी विधि से क्रय की गई पुस्तकें पुस्तकालय नियमावली के नियम 4(viii) के अनुसार अंकित छूट से कम छूट पर क्रय नहीं की जायेंगी परन्तु विशेष प्रकरण में माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरांत निर्धारित छूट से कम छूट पर पुस्तकें क्रय की जा सकेंगी.
- (9) जो पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक निर्धारित छूट से अधिक छूट प्रदाय करेगा उससे अधिकतम छूट पर तथा जो पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक पुस्तक क्रय नियमावली में निर्धारित छूट पर पुस्तकें प्रदाय करने में सहमत होगा उनसे भी पुस्तकें क्रय की जा सकेंगी.
- (10) सामान्यतः पुस्तकों का क्रय भौतिक रूप से अवलोकन पश्चात किया जा सकेगा.
- (11) अनुमोदन/चयन हेतु प्राप्त ऐसी पुस्तकें जो चयनित नहीं हुईं उन्हें सम्बन्धित पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक को वापस ले जाने की सूचना देने का दायित्व पुस्तकाध्यक्ष का होगा, इस हेतु पुस्तकाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धितों को नियत अवधि में उक्त पुस्तकें वापस ले जाने के लिये अधिकतम 03 स्मरण पत्र रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये जायेंगे। इसके पश्चात भी यदि सम्बन्धित पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक द्वारा पुस्तकें वापस प्राप्त नहीं की जाती हैं तो इस सम्बन्ध में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति/हानि का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक का होगा.
- (12) पुस्तकाध्यक्ष ऐसी अचयनित पुस्तकें जिन्हें सूचना देने के उपरान्त भी सम्बन्धित पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक द्वारा वापस प्राप्त नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में एक पृथक पंजी का संधारण कर उन पुस्तकों को इन्द्राज करेगा तथा पुस्तकों के अनुमोदन हेतु प्राप्ति की तिथि से आगामी 01 वर्ष तक अपनी अभिरक्षा में रखेगा। इस अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त ऐसी पुस्तकें सक्षम अधिकारी की अनुमति से विधान सभा पुस्तकालय के स्कंध में सम्मिलित हो जायेंगी.

#### 4. पुस्तक क्रय हेतु ई-टेण्डर में निम्नांकित शर्तें सम्मिलित होंगी :

- (i) ई-टेण्डर एवं प्रस्ताव की अन्य शर्तें जो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएं वे टेण्डर में सम्मिलित की जा सकेंगी.
- (ii) ई-टेण्डर के अंतर्गत प्राप्त निविदा प्रस्ताव सक्षम अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर खोले जायेंगे.
- (iii) प्रदाय की जाने वाली पुस्तकों के देयकों में पुस्तक विक्रेता को यह भी प्रमाणित करना होगा कि पुस्तकें सम्बन्धित मूल प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित हैं। नकली अथवा त्रुटिपूर्ण पुस्तकों के प्रदाय की जिम्मेदारी प्रदायकर्ता की होगी.
- (iv) प्रदाय की जाने वाली पुस्तकों का मूल्य सुस्पष्ट मुद्रित हो, स्लिप लगी हुई न हो तथा हाथ से संशोधित मूल्य वाली और मूल्य की मुहर लगी पुस्तकें मान्य नहीं होंगी। विशेष प्रकरण में सम्बन्धित पुस्तक का कैटलाग अथवा प्रकाशक का मूल्य प्रमाणीकरण का पत्र देना होगा.
- (v) विदेशों में प्रकाशित पुस्तकों के मूल्य प्रमाणीकरण हेतु गुड्स आफिस कमेटी का परिवर्तन मूल्य प्रमाणीकरण क्रयादेश तिथि का देयक में संलग्न करना अनिवार्य होगा.

(vi) पुस्तकालय को प्रदायित समस्त पुस्तकों के नवीनतम एवं अद्यतन (Updated) संस्करण होने चाहिए.

(vii) प्रदाय की जाने वाली पुस्तकें अच्छी हालत में होनी चाहिए, किसी भी रूप में क्षतिग्रस्त पुस्तकों का प्रदाय स्वीकार नहीं किया जायेगा.

(viii) पुस्तकालय, अनुसंधान एवं संदर्भ समिति द्वारा पुस्तकों के क्रय हेतु पुस्तक विक्रेताओं/प्रकाशकों से विभिन्न प्रकार की पुस्तकों पर नियमानुसार न्यूनतम अनिवार्य छूट का निर्धारण किया गया है :-

1. सामान्य, विधिक पुस्तकें	-	20 प्रतिशत
2. स्व-प्रकाशन, इनसाईक्लोपीडिया/शब्दकोश	-	30 प्रतिशत
3. शासकीय प्रकाशन/संदर्भ पुस्तकें	-	10 प्रतिशत या नेट कीमत पर

(ix) पुस्तकालय में पुस्तकों के अधूरे सेट होने पर जिन्हें पूरा करना आवश्यक हो वह पुस्तक/पुस्तकें जिस किसी भी पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक के पास उपलब्ध हैं, पुस्तक क्रय नियमावली के अंतर्गत निर्धारित छूट न होने पर भी वह पुस्तक सक्षम अधिकारी की अनुमति से क्रय की जा सकेंगी। भले ही वह पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक पुस्तकालय में पंजीबद्ध न हो.

(x) निर्धारित अवधि में अनुमोदन हेतु पुस्तकें उपलब्ध न कराये जाने पर या पुस्तकों का प्रदाय न किये जाने पर पुस्तक विक्रेता/प्रकाशकों को एक अवसर ऐसी अवधि हेतु जो उचित समझी जाएँगी और दिया जा सकेगा, तत्पश्चात भी पुस्तक न आने पर प्रदाय आदेश निरस्त कर दूसरे पुस्तक विक्रेता/प्रकाशक को दिया जायेगा.

### अन्य शर्तें

1. पुस्तक विक्रेता/प्रकाशकों को स्वयं के व्यय पर पुस्तकें प्रदाय करना होगा.
2. बिल्टी छुड़ाने पर लगने वाले व्यय का भुगतान नहीं करने पर देयक में से राशि काटी जायेगी.
3. नवीनतम प्रकाशित पुस्तकें पुस्तकालय में एप्रवुल पर देनी होंगी.
4. यह आवश्यक नहीं होगा कि एप्रवुल पर प्रदाय पुस्तकें पुस्तकालय द्वारा क्रय कर ली जायेगी.
5. एप्रवुल पर प्रदाय पुस्तकें पुस्तक विक्रेता को 15 दिवस पश्चात् वापस की जायेगी जिसे ले जाने की जिम्मेदारी स्वयं पुस्तक विक्रेता की होगी.

मैंने विधान सभा की पुस्तकालय नियमावली 2015 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधान व अन्य शर्तें पढ़ ली हैं इससे मैं सहमत हूँ.

पुस्तक विक्रेता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा